रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 521] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 10, 2014/आश्विन 18, 1936
No. 521] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 10, 2014/ASVINA 18, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2014

सा.का.नि.713 (अ).— केन्द्रीय सरकार, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वन (संरक्षण) नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन (संरक्षण) दूसरा संशोधन, नियम, 2014 है ।

(2) ये 1 नवम्बर, 2014 को प्रवृत्त होंगे ।

2. वन (संरक्षण) नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 2 में, खंड (गक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(गख)", प्रादेशिक सशक्त समिति के अध्यक्ष " से नियम 4क के अधीन गठित प्रत्येक प्रादेशिक सशक्त समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(गग) "प्रादेशिक कार्यालय का प्रमुख" से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रादेशिक कार्यालय में इस अधिनियम के अधीन वन संरक्षण मामलों से व्यौहार करने के लिए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक या मुख्य वन संरक्षक की पंक्ति में नियुक्त ज्येष्ठतम अधिकारी अभिप्रेत है ;

(गघ) **"लिनियर परियोजनाएं"** से ऐसी परियोजनाएं अभिप्रेत हैं जिनमें सड़कों, रेलवे लाइनों, पाइप लाइनों, पारिषण लाइनों आदि का प्रयोजन के लिए वन भूमि का लिनियर परिवर्तन अभिप्रेत है ;

3. उक्त नियमों में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 94(अ), तारीख 3 फरवरी, 2004 द्वारा यथा अंत:स्थापित प्रादेशिक सशक्त समिति के गठन से संबंधित नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"4क" प्रादेशिक सशक्त समिति का गठन-

(1) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालय के लिए प्रादेशिक सशक्त समिति का गठन करेगी ।